बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2019

- प्रभावित जिलों की संख्या-27
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या-233
- प्रभावित पंचायतों की संख्या -2130
- प्रभावित गाँवों की संख्या-7257
- कारक नदियाँ- कोसी, महानन्दा, लालबकिया, अधवारा समूह, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, महानंदा, गंगा
- कुल प्रभावित आबादी 149.41 लाख
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर की संख्या 658
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर में आश्रय लेने वालों की संख्या 1052348
- 1995.60 करोड़ रु0 आनुग्रहिक राहत (GR) के रुप में वितरित किया गया।
- कृषि इनपुट अनुदान 507.89 करोड़ रु0 प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया गया।

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2020

- प्रभावित जिलों की संख्या-19
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या-152
- प्रभावित पंचायतों की संख्या -1402
- प्रभावित गाँवों की संख्या-7334
- कारक नदियाँ- कोसी, गंडक, कमला बलान, अधवारा समूह, बागमती, बूढ़ी गंडक
- कुल प्रभावित आबादी 100.23 लाख
- कुल निष्क्रमित आबादी 471587
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर की संख्या 79
- चलाए गए सामुदायिक रसोई की सख्या 2478
- 1355.50 करोड़ रु0 आनुग्रहिक राहत (GR) के रुप में वितरित किया गया।
- कृषि इनपुट अनुदान 1005.50 करोड़ रु0 प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया गया।

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2021

- प्रभावित जिलों की संख्या-32
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या-295
- प्रभावित पंचायतों की सख्या -2865
- प्रभावित गाँवों की संख्या-6609
- कारक नदियाँ- कोसी, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, खिरोई, बागमती, धौस, पुनपुन, दरधा, लोकाईन, फल्गु, मोरहर, जमुने
- कुल प्रभावित आबादी 82.57 लाख
- कुल निष्क्रमित आबादी 330305
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर की संख्या 87
- चलाए गए सामुदायिक रसोई की सख्या 2002
- वितरित राशन पैकेट की संख्या 516462
- 999.98 करोड़ रु0 आनुग्रहिक राहत (GR) के रुप में वितरित किया गया।
- कृषि इनपुट अनुदान 902.00 करोड़ रु0 प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया गया।

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2022

- प्रभावित जिलों की संख्या – 17
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या- 67
- प्रभावित पंचायतों की संख्या- 346
- प्रभावित गाँवों की संख्या- 710
- कुल प्रभावित आबादी – 4.51 लाख
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर की संख्या – 9
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर में आश्रय लेने वालों की संख्या – 5840
- चलाए गए सामुदायिक रसोई की संख्या – 17
- चलाए गए सामुदायिक रसोई में खाने वालों की संख्या – 32,000
- चलाए गए नावों की संख्या – 1082
- वितरित पॉलिथिन शीट्स की संख्या – 19,742
- वितरित राशन पैकेट की संख्या – 2233

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2023

- प्रभावित जिलों की संख्या – 06
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या- 14
- प्रभावित पंचायतों की संख्या- 81
- प्रभावित गाँवों की संख्या- 241
- कुल प्रभावित आबादी – 3.16 लाख
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर की संख्या – 13
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर में आश्रय लेने वालों की संख्या – 1086
- चलाए गए सामुदायिक रसोई की संख्या – 70
- चलाए गए सामुदायिक रसोई में खाने वालों की संख्या – 3,96,918
- चलाए गए नावों की संख्या – 511
- वितरित पॉलिथिन शीट्स की संख्या – 39,489
- वितरित राशन पैकेट की संख्या – 30,902
- आनुग्रहिक राहत (GR) के रुप में वितरित किया गया- 39.80 करोड़

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2024

- प्रभावित जिलों की संख्या – 27
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या- 164
- प्रभावित पंचायतों की संख्या- 1038
- प्रभावित गाँवों की संख्या- 3662
- कुल प्रभावित आबादी – 56.38 लाख
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर की संख्या – 32
- चलाए गए बाढ़ राहत शिविर में आश्रय लेने वालों की संख्या – 15,268
- चलाए गए सामुदायिक रसोई की संख्या – 1387
- चलाए गए सामुदायिक रसोई में खाने वालों की संख्या – 83,31,665
- चलाए गए नावों की संख्या – 3110
- वितरित पॉलिथिन शीट्स की संख्या – 4,95,995
- वितरित राशन पैकेट की संख्या – 3,14,566
- आनुग्रहिक राहत (GR) के रुप में वितरित किया गया- 710.46 करोड़
- कृषि इनपुट अनुदान 491.18 करोड़ रु• प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया गया।

Covid-19

- राज्य के बाहर से लौट रहे श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए ब्लॉक क्वारंटीन कैम्प की स्थापना
- ब्लॉक क्वॉरंटीन कैम्प में पंजीकृत सभी व्यक्तियों खाने हेतु स्टील का बर्तन, पहनने के लिए वस्त्र की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराया गया।
- क्वारंटीन कैम्प में योगा एवं शारीरिक अभ्यास
- क्वारंटीन कैम्प में रमजान एवं ईद का आयोजन

मुख्यमंत्री विशेष सहायता :

- देश के विभिन्न भागों में फँसे बिहार के मजदूर भाईयों एवं अन्य जरुरतमंद व्यक्तियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000/- रु0 प्रति व्यक्ति की दर से राशि अंतरित किया गया।
- इसके तहत राज्य के बाहर फँसे हुए 2093292 व्यक्तियों को कुल 209.33 करोड़ रु0 की राशि का भुगतान किया गया। राज्य स्तर से सीधे लाभुक के बैंक खाता में PFMS के माध्यम से राशि अंतरित की गयी।
- बिहार फाउंडेशन के माध्यम से अन्य राज्यों में आपदा राहत केन्द्रों का संचालन
- दिल्ली सहित महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम एवं गुजरात में संचालित आपदा राहत केन्द्रों में लगभग 12 लाख व्यक्तियों (Total number of meals) को भोजन कराया गया। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि से की गयी

राज्य सरकार आपदा पीड़ित परिवारों को ससमय एवं पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है।

किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन नंबर

06122-2294204/205, 1070

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के कार्यों से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ें:-

https://www.facebook.com/BiharDisasterManagement

X - @BiharDMD

बिहार सरकार

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग की यात्रा : 2005 से 2025 तक

आपदा प्रबंधन विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन की नई अवधारणा एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- पूर्व के वर्षों में आपदा प्रबंधन की गतिविधियाँ राहत कार्यों तक सीमित थी।
- वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का सूत्रण के उपरान्त आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में परिदृश्य बदल गए।
- अब आपदा प्रबंधन का कार्य मात्र राहत कार्यों तक सीमित नहीं रहा, अपितु इसके अन्तर्गत रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण अवयव सम्मिलित हो गए।
- वर्ष 2007 में राज्य के 22 जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ा।
  - इस बाढ़ में 22 जिलों के 269 प्रखण्डों के 3816 पंचायतों के 18,832 गाँव के 244 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।
  - कुल 784328 पक्के, कच्चे मकान तथा झोपड़ी क्षतिग्रस्त हुए।
  - कुल 13.32 लाख हेक्टेयर में लगे फसल क्षतिग्रस्त हो गए।
  - लोगों को राहत हेतु हेलिकॉप्टर के माध्यम से 13020 पैकेट्स सूखा राहत एयर ड्रॉप करवाया गया।
  - कुल 927 राहत शिविरों में 17,25,522 लोगों को रखा गया, जहाँ उनके आवासन, भोजन, पानी, स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था की गई।
  - 8375 मोटरबोट एवं देशी नावों के माध्यम से लोगों को निष्क्रमित किया गया।
  - नगद अनुदान के रूप में 111.00 करोड़ रु0 का भुगतान किया गया।
  - सभी प्रभावित परिवारों को एक क्विंटल की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

कोसी त्रासदी: एक सबक

- 18 अगस्त, 2008 में कुसहा के पास कोसी नदी में टूटान के कारण प्रलयंकारी बाढ़ आयी।
- बाढ़ के फलस्वरूप सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिला के 35 प्रखंडों के 993 गांवों के 33.97 लाख जनसंख्या एवं 8.32 लाख पशु प्रभावित हुए।
- बाढ़ से रेल लाइन, सड़क, पुल-पुलिया, विद्युत संरचनाओं सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं का व्यापक पैमाने पर क्षति हुई।

राज्य सरकार के द्वारा ऐतिहासिक बचाव अभियान प्रारम्भ किया गया

- वायुसेना के 11 हेलीकॉप्टरों के द्वारा 356 खेप उड़ान भरी गयी।
- 21892 पैकेट्स खाद्य सामग्री, 174387 बोतल पीने का पानी एवं 438680 हैलोजेन टैबलेट एयर ड्रॉप किया गया।
- सेना के 25 कॉलम को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया।
- नौसेना के 4 कॉलम को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया।
- 850 एन0डी0आर0एफ के जवान तथा 2329 नावें जिसमें 506 मोटरबोट भी शामिल थे , को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया।

बड़े पैमाने पर राहत कार्य प्रारम्भ किया गया

- प्रथम चरण में आपदा प्रभावित प्रत्येक परिवार को एक क्विंटल मुफ्त अनाज तथा 250 रु0 नगद मुफ्त साहाय्य के अतिरिक्त 1000 रुपये वस्त्र एवं 1000 रुपये बर्तन के लिए कुल 8,30,912 परिवारों को दिया गया।
- सरकार द्वारा 8,38,443 क्विंटल अनाज तथा 18256.6 लाख रुपए से अधिक नगद वितरण इन प्रभावित परिवारों को किया गया।
- द्वितीय चरण के राहत वितरण में आजीविका की समस्या को देखते हुए सभी पीड़ित परिवारों को 01 क्विंटल अनाज के समतुल्य नगद राशि 1,590/- रुपये तथा नगद अनुदान के रूप में 250/- रुपये कुल 1,840/- रुपये की दर से भुगतान किया गया।
- कुल 8,30,912 परिवारों के बीच 15288.7 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया।
- तृतीय चरण के राहत में जिन कृषकों की फसल नष्ट हो गई उनको कृषि इनपुट अनुदान के रूप में कुल 1,99,835 परिवारों के बीच 86 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।
- जिन परिवारों की जमीन पर गाद जमा हो गया था, वैसे 22,256 परिवारों के बीच 5.53 करोड़ एवं वैसे 26,914 परिवार जिनकी जमीन नदी की धारा में परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए के बीच 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से कुल 23.09 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, ऐसे 1,31,886 परिवारों के बीच 76.40 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

राज्य में आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे का विकास

- माह नवम्बर 2007 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (BSDMA) का गठन किया गया एवं माह जून, 2008 में राज्य के सभी 38 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन हुआ।
- इन संस्थाओं के अस्तित्व में आने के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयामों के साथ एक नए दृष्टिकोण से राज्य में आने वाले आपदाओं का प्रबंधन किया गया।

वर्ष 2009: बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण

वर्ष 2008 के कोसी आपदा के पश्चात् बाढ़ की तैयारियों एवं क्षति को कम करने के प्रयासों हेतु आधारभूत संरचनाओं का सृजन करने के उद्देश्य से बाढ़ आश्रय स्थल एवं पशु आश्रय स्थलों के निर्माण का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में लिया गया। तदोपरान्त प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष तथा विधान सभा सदस्य/विधान पार्षद विकास निधि से सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में कुल 250 बाढ़ आश्रय स्थल एवं 98 पशु आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है।

पुनः वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मार्गदर्शन में 10 बाढ़ प्रवण जिलों यथा अररिया, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, पूर्णिया, पश्चिम चम्पारण, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं दरभंगा में मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 100 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। जिसमें से अबतक 54 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2010: बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया का सूत्रण

वर्ष 2007 की अतिवृष्टि तथा बाढ़ आपदा एवं वर्ष 2008 की कोसी आपदा के दौरान सरकार द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के अनुभव से यह बात स्पष्ट हुई थी कि ऐसी आपदाओं के समय आवश्यक गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का सूत्रण आवश्यक है, ताकि बाढ़ पूर्व तैयारियों, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव तथा बाढ़ के पश्चात की जाने वाली कार्रवाईयों को करने में पदाधिकारियों को सरकारी निदेशों/अनुदेशों का ढूंढने की आवश्यकता न पड़े तथा वे स्पष्ट हों कि उन्हें क्या करना है।

इसी उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वर्ष 2010 में बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया का सूत्रण किया गया।

वर्ष 2010: बिहार SDRF का गठन

- वर्ष 2007 एवं 2008 में आयी भयंकर बाढ़ के दौरान चलाये गये राहत एवं बचाव कार्यों से प्राप्त अनुभव के आधार पर राहत एवं बचाव कार्यों के बेहतर संचालन के दृष्टिकोण से वर्ष 2010 में राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन किया गया।
- SDRF वाहिनी के लिए बिहटा में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई।
- इनके द्वारा बाढ़, भूकम्प आपदाओं एवं डूबने की घटना के अतिरिक्त दुर्गा पूजा एवं छठ महापर्व आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
- राज्य सरकार के प्रयास से भारत सरकार द्वारा NDRF की एक बटालियन को बिहार राज्य के लिए स्थापित किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा NDRF को बिहटा में 75 एकड़ की भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई।
- NDRF एवं SDRF के गठन से सभी प्रकार के आपदाओं के दौरान पेशेवर तरीके से राहत एवं बचाव कार्य संभव हो पा रहा है।

वर्ष 2015: स्थानीय प्रकृति की आपदाओं का अधिसूचन

- राज्य के अन्दर घटने वाली कई प्रकार की आपदाएँ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं थी, जैसे- वज्रपात, लू, अतिवृष्टि, डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव-जनित दुर्घटनाएँ आदि।
- राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में अधिसूचना जारी कर स्थानीय प्रकृतिक की आपदाओं को अधिसूचित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है- वज्रपात, लू, असमय भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, अतिवृष्टि, डूबने से होने वाली मृत्यु, आँधी-तूफान मानव-जनित दुर्घटनाएँ यथा सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना एवं गैस रिसाव।
- वर्ष 2022 में सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्दर अधिसूचित किया गया।

वर्ष 2016: आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015-30 का सूत्रण

- अप्रैल, 2016 में सुरक्षित बिहार बनाने के उद्देश्य से **बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015-30** का सूत्रण किया गया।
- रोडमैप के अंतर्गत 2015-30 तक के लिए निम्नांकित 4 लक्ष्य रखे गये हैः-
  - (i) वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलाधार (Base Line) आँकड़ों की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।
  - (ii) वर्ष 2030 तक परिवहन सम्बन्धी आपदाओं (सड़क, रेल एवं नाव दुर्घटना) में मूलधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में पर्याप्त (Substantial) कमी करना।
  - (iii) वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना, एवं
  - (iv) वर्ष 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होनेवाली क्षति में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में 50 प्रतिषत की कमी।
- वर्ष 2020, 2025 एवं 2030 इस Roadmap के महत्वपूर्ण पड़ाव है।
- लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2020 तक अल्पकालीन, वर्ष 2025 तक मध्यकालीन तथा वर्ष 2030 तक के लिए दीघकालीन क्रियाकलापों को रोडमैप में शामिल किया गया है।
- इन क्रियाकलापों को 5 (पाँच) अवयवों में विभक्त किया गया है, यथा-सुरक्षित ग्राम (Resilient Village), सुरक्षित शहर (Resilient City), सुरक्षित आजीविका (Resilient Livelihood), सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (Resilient basic Services) एवं सुरक्षित अत्यावष्यक आधारभूत संरचनाएँ (Resilient Critical infrastructure)

सुखाड़ प्रबंधन का कार्य

- वर्ष 2009 में राज्य के 26 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2010 में राज्य के सभी 38 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।
- वर्ष 2010 में सूखा से प्रभावित परिवारों को कुल 440.55 करोड़ रु0 आनुग्रहिक राहत (GR) के रूप में वितरित किया गया, जबकि 203 करोड़ रु0 कृषि इनपुट अनुदान के रूप में प्रभावित किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों के लिए भुगतान किया गया।
- वर्ष 2013 में राज्य के 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।
- वर्ष 2018 में राज्य के 25 जिलों के 280 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तथा 1430 करोड़ रु0 कृषि इनपुट अनुदान के रूप में प्रभावित किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों के लिए भुगतान किया गया।
- वर्ष 2019 में राज्य सरकार के द्वारा 18 जिले के 102 प्रखण्डों के 896 पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।
- पहली बार राज्य संसाधन से तत्काल सहायता के रूप में 3,000 रु0 की दर से 10 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को कुल 304 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया।
- वर्ष 2022 में राज्य के 11 जिले के 96 प्रखण्डों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत सभी गाँव, टोले एवं बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।
- सूखा प्रभावित 18 लाख से अधिक परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3,500 रु0 की दर से कुल 637 करोड़ से अधिक की राशि आनुग्रहिक राहत (GR) के रूप में उपलब्ध करवाई गयी।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए

  वर्ष 2015-16 में 33.11 करोड़, वर्ष 2016-17 में 151.91 करोड़, वर्ष 2017-18 में 886.36 करोड़, वर्ष 2018-19 में 25.57 करोड़, वर्ष 2019-20 में 507.89 करोड़, वर्ष 2020-21 में 1005.50 करोड़, एवं वर्ष 2021-22 में 902.00 करोड़ रुपये का भुगतान कृषि इनपुट अनुदान के रूप में प्रभावित किसानों को किया गया।

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2016

- प्रभावित जिलों की संख्या 31
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या-185
- प्रभावित पंचायतों की संख्या -1408
- प्रभावित गाँवों की संख्या-5527
- कारक नदियाँ -गंगा, कोसी, कनकई, बकरा, परमान, महानंदा, सोन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, भूतही बलान, फल्गु, दरधा, जमुने, बकाने
- कुल प्रभावित आबादी 87.85 लाख
- 959.68 करोड़ रु0 आनुग्रहिक राहत (GR) के रूप में वितरित किया गया।
- कृषि इनपुट अनुदान 151.91 करोड़ रु0 प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया गया।

बाढ़ आपदा प्रबंधन वर्ष 2017

- प्रभावित जिलों की संख्या-22
- प्रभावित प्रखण्डों की संख्या-214
- प्रभावित पंचायतों की संख्या-2605
- प्रभावित गाँवों की संख्या-9197
- कारक नदियाँ- कोसी, परमान, महानन्दा, गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती
- कुल प्रभावित आबादी 185 लाख
- 2385.81 करोड़ रु0 आनुग्रहिक राहत (GR) के रूप में वितरित किया गया।
- कृषि इनपुट अनुदान 886.36 करोड़ रु0 प्रभावित किसानों के बीच वितरित किया गया।